दिनांक–22.06.2026 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में प्रस्तावित बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 से संबंधित आयोजित बैठक की कार्यवाही :

सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा सूचित किया कि बिहार में सात निश्चय–3 के तहत 25 चीनी मिलों की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। 09 बंद चीनी मिलों का पुनः परिचालन किया जाएगा। कार्ययोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति की स्वीकृति की आवश्यकता को रेखांकित किया।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैठक के क्रम में निम्नलिखित निदेश दिया गयाः–

1. नई चीनी मिल की स्थापना के लिए चिन्हित 25 जिलों/स्थानों पर भूमि की उपलब्धता के लिए भूमि बैंक शीघ्र बनाने का निदेश दिया गया।

2. बंद चीनी मिलों के संबंध में सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि रैयाम, सकरी का DPR तैयार कर लिया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। रैयाम, सकरी एवं सासामूसा में कार्यारंभ नवम्बर, 2026 में करने का प्रस्ताव है। मढ़ौरा एवं मोतिहारी चीनी मिल पर शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सीवान जिला में भी प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिल की स्थापना हेतु कार्ययोजना बनाने का निदेश दिया गया।

3. मोतीपुर चीनी मिल के संबंध में यह विचार किया गया कि वांछित राशि IPL को देकर 266 एकड़ जमीन वापस ले लिया जाय। इसमें से 100 एकड़ में चीनी मिल की स्थापना एवं शेष जमीन अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उपयोग में लाया जाय।

4. सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वरा पूर्वी चम्पारण में ढेकहा, घोड़ासाहन एवं नवादा जिला में वारसलिगंज में नई चीनी मिल की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित होने की सूचना दी गई। पूर्वी चम्पारण में बेतिया राज की उपलब्ध भूमि पर चीनी मिल की स्थापना के संबंध में विचार करने का निदेश दिया गया।

5. किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में ईख मूल्य पर दी जा रही राज्य सहायता की दर में बढ़ोत्तरी हेतु सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा अनुरोध किया गया। निदेश दिया गया कि स्वीकृति के लिए आगे की कार्रवाई की जाय।

6. सचिव, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया कि नए क्षेत्रों में गन्ना विकास के लिए शुरूआत के कुछ वर्षों में निःशुल्क गन्ना बीज किसानों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। समीक्षोपरान्त गन्ना उद्योग विभाग को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निदेश दिया गया।

7. गन्ना अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निदेश दिया गया कि बंद चनपटिया चीनी मिल की जमीन पर गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि नए चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना क्षेत्र विस्तार के लिए अभियान चलाया जाय।

8. सुपौल/अररिया/किशनगंज जिला में भी चीनी मिल के शुभारंभ के लिए उपयुक्तता पर विभाग को विचार करने का निदेश दिया गया।

9. जिन चीनी मिलों का PPA (Power Purchase Agreement) समाप्त हो गया है, के विस्तारीकरण के लिए ऊर्जा विभाग को शीघ्र सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया गया। इससे राज्य में निवेश के माहौल को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि वर्तमान नीति के तहत नए चीनी मिलों के साथ 25 वर्षों के लिए PPA करने का प्रस्ताव है।

10. प्रस्तावित बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2026 के तहत कुल देय पूँजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान की सीमा 33 प्रतिशत तक रखने का सुझाव दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की समाप्त की गई।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

(प्रत्यय अमृत)
मुख्य सचिव,
बिहार।

कृ०पृ०उ०

Proceeding-2-Roshan
Proceeding-2-Roshan

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, वित्त विभाग / सहकारिता विभाग / उद्योग विभाग / ऊर्जा विभाग / वाणिज्य कर विभाग / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/26
(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236 /ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / संयुक्त ईखायुक्त / संयुक्त निदेशक, ईख विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–02–800–04 / 2024–1236/ई०का० / पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।